भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 209
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा के लिए नए मालगोदाम

209 श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की उच्च कृषि उपज के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा को सहारा प्रदान करने के लिए राज्य में मालगोदामों के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है;
(ख) केंद्र सरकार मालगोदाम के निर्माण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार करेगी, और इस निर्णय में तमिलनाडु की आवश्यकताओं को किस प्रकार ध्यान में रखा जाएगा;
(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में कृषि से जुड़ी चुनौतियों के कारण, केंद्र सरकार पर्याप्त भंडारण अवसंरचना विकसित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन करती है; और
(घ) यदि हां, तो इस आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी है ।

दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, माननीय संसद सदस्य द्वारा "तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा के लिए नए मालगोदाम" के संबंध में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 209 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): देश में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कार्यों और बफर स्टॉक बरकरार रखने के लिए मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खरीद के बाद उनका भंडारण करता है । भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता प्रापण का स्तर, बफर मानकों की अपेक्षाओं और खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के PDS कार्यों पर निर्भर करती है । भंडारण की आवश्यकता और उसकी कमियों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम लगातार भंडारण क्षमता का आंकलन और निगरानी करता है और तमिलनाडु सहित संपूर्ण देश में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण सुविधाओं की निर्माण करता है/किराए पर लेता है:

i. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के अंतर्गत साइलोस (silos) का निर्माण
ii. निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना
iii. केंद्रीय क्षेत्रक योजना– भंडारण और गोदाम
iv. केंद्रीय भांडागारण निगम (CWC)/राज्य भांडागारण निगमों (SWCs)/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराये पर लेना
v. निजी भांडागारण योजनाएं (PWS)
vi. आस्ति मौद्रिकीकरण के अंतर्गत गोदामों का निर्माण

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को सशक्त करने के लिए संघ सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत भांडागारों और शीतागारों सहित फसल पश्चात् अवसंरचना के निर्माण के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और इस उद्देश्य हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% ब्याज सब्वेंशन का प्रावधान है ।

कृषि मूल्य श्रृंखला के सर्वांगीण विकास के लिए 'कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)' की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन भंडारण अवसंरचना (50 – 5,000 MT) और गैर-भंडारण अवसंरचना के निर्माण के लिए 25% से 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन आवश्यकता पर आधारित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजनाओं (AAPs) के आधार पर देश में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के शीतागारों के निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न

बागवानी कार्यों के लिए संघ सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में पूंजी (सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50%) सहायता प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना" के अधीन 5,000 मीट्रिक टन और 20,000 मीट्रिक तक की शीतागार एवं कंट्रोल्ड एट्मॉसफियर (CA) भंडारण की सुविधा के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए सरकार ने दिनांक 31.5.2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को अनुमोदित किया है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है । इसमें भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण की उपयोजना (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), इत्यादि के अभिसरण द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS) के स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, इत्यादि की स्थापना सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।

इस योजना की पायलट परियोजना में तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले के सिलामरथुपट्टी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति में 1,000 मीट्रिक टन क्षमता के एक गोदाम का निर्माण किया गया है ।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उपयुक्त पैक्स की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें उनके संबंधित जिला सहकारी विकास समितियों (DCDCs) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिन्हें उक्त क्षेत्र की खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना में भाग लेने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित किया गया है ।

PACS स्तर पर अभिसरण की जा रही भारत सरकार की योजनाओं के अधीन सब्सिडी या ब्याज सब्वेंशन के रूप में लाभ का उपभोग सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में भाग लेने वाले PACS कर सकते हैं । इसके अलावा, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में भाग लेने के लिए PACS को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की कतिपय योजनाओं के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित आशोधन किए गए हैं:

i. **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI):**
    - मार्जिन धनराशि की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है
    - PACS 33.33% की दर पर सब्सिडी लेने के पात्र हैं

- गोदाम निर्माण की सब्सिडी गणना के लागत-मानकों को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4,000 रुपये/ मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8,000 रुपये/मीट्रिक टन और अन्य राज्यों के लिए 3500 रुपये/ मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7000 रुपये/ मीट्रिक टन संशोधित किया गया ।
- PACS को सहायक अवसंरचना (चाहरदिवारी, आंतरिक सड़क, इत्यादि) हेतु अतिरिक्त सब्सिडी, जिसे गोदाम घटक या वास्तविक अनुमेय सब्सिडी, जो भी कम हो, के अधिकतम 1/3 पर सीमित किया जाएगा ।

ii. PACS को क्रेडिट गारंटी सुविधा:

सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में भाग लेने वाले PACS को '10,000 FPO की स्थापना और संवर्धन' योजना के अधीन नबसंरक्षण क्रेडिट गारंटी सुविधा के अधीन निम्नानुसार रूप से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के समरूप पात्र बनाया गया है:

- 1 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण की दशा में क्रेडिट गारंटी कवर, बैंकयोग्य परियोजना ऋण का 85% होगा, जो 85 लाख रुपये पर सीमित होगा ।
- 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण की दशा में क्रेडिट गारंटी कवर, बैंकयोग्य परियोजना ऋण का 75% होगा जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ रुपये होगी ।
- तथापि, 2 करोड़ रुपये से अधिक की बैंकयोग्य परियोजना के परियोजना ऋण के लिए अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवर केवल 2 करोड़ रुपये पर सीमित होगी ।

(ग) और (घ): कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन तमिलनाडु राज्य में भांडागार निर्माण के लिए कुल 1,416 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके लिए संघ सरकार द्वारा 434 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना के अधीन तमिलनाडु राज्य में 15.22 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता की कुल 1,238 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके लिए 54.24 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है ।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना" के अधीन तमिलनाडु राज्य में 3.99 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 188 शीतागार हैं ।

*****